न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 78/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. जगदीशचन्द्र पिता जवाहरमल, जाति जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती नोसर विधवा जवाहरमल, जाति जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) नाम तर्क किया गया

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. देवीलाल पिता मांगीलाल, जाति जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नानालाल पिता मांगीलाल, जाति जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नारायण पिता सूरजमल जाति जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

3/1. उदयराम पिता नारायण, जाति जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3/2. शान्ता देवी पिता नारायण, जाति जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3/3. किशन पिता नारायण, जाति जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3/4. अनोखी पिता नारायण, जाति जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3/5. सुन्दर विधवा नारायण, जाति जाट, निवासी बेहडा का खेड़ा हाल निवासी सादड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रेलमगरा, जिलाराजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द (राज.)
6. सुनीता पत्नी स्वर्गीय बिहारी, जाति हरिजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्यामुबाई पिता गोटूलाल, जाति हरिजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

8. कमलाबाई पिता गोटूलाल, जाति हरिजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. शंकरलाला पिता पन्नालाल, जाति हरिजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
10. प्रभुलाल पिता पन्नालाल, जाति हरिजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. गंगाबाई पिता पन्नालाल, जाति हरिजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
12. मुलीबाई पिता पन्नालाल, जाति हरिजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
13. ग्यारसीबाई पत्नी स्वर्गीय पन्नालाल, जाति हरिजन, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
14. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
15. हीरालाल पिता जवाहरमल, जाति जाट, निवासी जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा दिनांक 30.05.2017 प्रकरण संख्या 159/2013

———::———

उपस्थित (वक्त बहस):–1.श्री मुकेश शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री एस. एल. लढ्ढा, अभिभाषक रे.सं. 2

3. श्री महेश कल्याणा अभिभाषक रे.सं. 6

4. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———:———

निर्णयदिनांक01–08–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टएवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 ने एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया किग्राम जूणदा की आराजी नंबर 517 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा राजस्व अभिलेखों में वादीगण के नाम अंकित है, जिस पर वादीगण ने 35 वर्ष पूर्व मकान निर्माण करवाया था, जिसके पश्चिम दिशा में आराजीनंबर 1733 रकबा 14 बिस्वा किस्म रास्ता प्रतिवादी [illegible] से 3 के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है, जो आबादी क्षेत्र से पूर्व दिशा में जाने वाले मुख्य मार्ग पर मिलता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीगण को आने–जाने में रूकावट उत्पन्न करते हैं तथा रास्ते को अवरूद्ध करने के आशय से वादीगण के मकान के बाहर बबूल की छड़िया डालने की धमकी दी तथा कहा कि रास्ता हमारा निजी है, जबकि वादीगण उक्त रास्ते का उपयोग कई वर्षो से करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपनी सीमा में ही निर्माण कार्य करवाया है, क्योंकि वादीगण के वर्तमान आराजी नंबर 517 का वर्तमान रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा है, जबकि इसके साबिक आराजी नंबर 1432 होकर रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा था, जिससे नई पैमाईश अनुसार रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा होना चाहिए था। इसी प्रकार प्रतिवादी की आराजी नंबर 1733 का रकबा 14 बिस्वा है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1470 का रकबा 6 बिस्वा ही था, किन्तु इनका रकबा बढ़ा दिया गया है। वर्तमान आराजी नंबर 514 प्रतिवादी संख्या 6 से 13 के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है, किन्तु उसकी आराजी में अन्तर आने के कारण वर्तमान आराजी नंबर 514, 517 व 1733 में रकबा घटा बढ़ा है, जिससे उनको पक्षकार बनाया गया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के आधिपत्य की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण यदि रास्ते को अवरूद्ध कर दे तो उनके स्वयं के खर्चे से हटाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 8 से 13 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 6 से 13 की आराजी संख्या 514 के रकबे के संबंध में वादीगण को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वादीगण ने उक्त आराजियात न तो खरीदी है, न ही वादीगण हमारे भाई बन्धु है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कुल 5 तनकियां कायम की तथा दिनांक 30–05–2017 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आराजी नंबर 1733 किस्म रास्ता में किसी प्रकार का अवरूद्ध नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टद्वारा यह अपील दिनांक 21–12–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री एस. एल. लोढ़ा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री महेश कल्याणा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमल किशोर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा बताया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 23–10–2017 को राजस्व न्याय आपके द्वारा 2017 शिविर में निर्णित प्रकरणों की लिस्ट लगायी गयी, जिसकी सूचना उनके अधिवक्ता ने दिनांक 01–11–2017 को दी, जिसकी नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा नकल प्राप्त होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि सेटलमेन्ट के दौरान नई जरीब अनुसार मेरा 11 बिस्वा रकबा बढ़ना था, जबकि 4 बिस्वा की ही बढ़ोत्तरी हुई है, 7 बिस्वा रकबा कम दर्ज हुआ है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के खाते की नई जरीब में रकबे की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। दोनों आराजी को मिलाने से रकबा पूर्ण हो जाता है। अपीलान्ट/वादीगण ने अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण की इन्द्राज दुरस्ती की रिलीफ को खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते बाबत् दी गयी स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को यथावत रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय का शेष आदेश अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण के पक्ष में इन्द्राज दुरस्ती की डिक्री प्रदान की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया किअपीलान्ट/वादीगण का रकबा किस आराजी में घटा बढ़ा इसका कोई उल्लेख उनके द्वारा अपने वाद में नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन करने पर पाया गया कि स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में माना है कि अपीलान्ट/वादीगण का रकबा नई जरीब अनुसार 2 बीघा 9 बिस्वा होना चाहिए था, जबकि उनके खाते में 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Mataviya
Date: 2023.08.01 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested

बीघा 2 बिस्वा भूमि ही दर्ज की गयी है। वादीगण के खाते में सेटलमेन्ट के दौरान 4 बिस्वा भूमि की ही बढ़ोत्तरी की गयी है, जबकि 11 बिस्वा भूमि की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए था। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खाते में नई जरीब अनुसार 8 बिस्वा की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि 2 बिस्वा की ही बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 से 13 के खाते में भी नई जरीब अनुसार 1 बीघा 5 बिस्वा ही बढ़नी चाहिए थी, जबकि उनके खाते में 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज की गयी है।

अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विवेचन के बावजूद प्रतिवादी संख्या 6 से 13 जाति से हरिजन होने से धारा 42 के विपरीत होने तथा वादीगण द्वारा भूमि किस आराजी में कितना रकबा बढ़ा अथवा घटा स्पष्ट नहीं किये जाने के आधार पर अपीलान्ट/वादीगण इन्द्राज दुरस्ती का वाद खारिज कर दिया, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 5 तनकियात भी कायम की गयी है, किन्तु उन पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर साक्ष्यों के आधार पर विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

फलस्वरूपअपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–05–2017अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट/वादीगण का कमी रकबा किस आराजी में गया, इस तथ्य का विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29–09–2023 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 01–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested